



कार्यालय, 76 प्रभागीय वनाधिकारी,  
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotaralwest@gmail.com



1

पत्रांक - 5504 /

29-3

दिनांक, रामनगर

22-05-2024

सेवा में,

श्री नीरज,  
एडवोकेट आन रिकार्ड, चैम्बर नं० 160,  
लोयर चैम्बर पटियाला हाउस कोर्ट,  
नई दिल्ली, 01

विषय:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य अन्य के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि हरदीप शर्मा द्वारा मा० एन०जी०टी० में मूल आवेदन संख्या 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य अन्य दायर किया गया, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवादी सं० 12 बनाया गया है। उक्त वाद की सुनवाई मा० एन०जी०टी० में दिनांक 15.02.2024 को हुयी, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है:-

5. *In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, DFO, Udham O.A. No. 17/2024 Hardeep Sharma. Vs. Ramesh Chand Aarya & Ors. -5- Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*
6. *Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*
7. *List the matter on 25.04.2024 for further consideration."*

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ/सा०-183-757/2024/1534 दिनांक 02.03.2024 के द्वारा मा० एन०जी०टी० में *Factual and Action taken Report* दो मॉड के अन्तर्गत दाखिल करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा काम्प्लेक्स, रामनगर रोड, काशीपुर को नामित किया गया तथा उक्त पत्र में उनके द्वारा इस प्रभाग से भी विषयगत प्रकरण में संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करने हेतु अनुरोध किया गया।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुपालन तथा उपरोक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय की पत्र सं० 4170/23-2 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर को उक्त प्रकरण में *Factual and Action Taken Report* उपलब्ध कराने हेतु गठित कमेटी के सदस्यों के रूप में नामित किया गया।

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी (प्रदूषण) ने सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को पत्र सं० यू०के०पी०सी०बी०/आर०ओ०के० रिट 90/24/दिनांक 22.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि-

" उक्त प्रकरण में जिला प्रशासन उधमसिंहनगर, वन विभाग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.04.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परन्तु 19.04.2024 को नैनीताल-उधमसिंहनगर में संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 का मतदान होना तय था। अतः निर्वाचन दायित्व में लगे होने के कारण अन्य विभागों, शिकायतकर्ताओं तथा अन्य से समन्वय कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है। अतः सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 में व्यस्तता के कारण प्रकरण पर रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।"

क्षेत्रीय अधिकारी (प्रदूषण) द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की माँग की गयी है। उक्त कारणों से मा० एन०जी०टी० में दिनांक 25.04.2024 को जवाब दाखिल नहीं हो सका।

उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 25.04.2024 को मा0 एन0जी0टी0 मे हुयी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.04.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है:-

3. Report of the Joint Committee has not been filed so far.
4. As per office report respondents no. 11 to 14 have been duly served but replies/responses have not been filed by respondents no. 11 to 14.
5. Report of the Joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
6. As per office report notices have been sent to respondents no. 1 to 10 by speed post but the same are not stated to have been delivered to them.
7. Notices be issued again to respondents no. 1 to 10 requiring them to file their replies/responses within two months as directed above.
8. Notices be served on respondents no. 1 to 10 through the District Magistrate, Udham Singh Nagar and for this purpose notices issued to the respondents no. 1 to 10 be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.
9. List the matter on 24.05.2024 for further consideration.
10. A copy of this order be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by email for requisite compliance. "

उक्त प्रकरण में गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.04.2024, 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को Factual and Action Taken Report तैयार की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी(प्रदूषण) ने अपने पत्र सं0 यू0 के0 पी0 सी0 बी0/आर0ओ0के0/2024/रिट 90/84 दिनांक 18.05.2024 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जो कि आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय की पत्र सं0 5462/29-3 दिनांक 20.05.2024 द्वारा आपको प्रेषित की गई थी।

उक्त रिपोर्ट में कुल 176 वृक्षों जिसमें आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष समिति की निरीक्षण आख्या के अनुसार अतिरिक्त पातन होना पाया है। अतिरिक्त पातित वृक्षों के पातन पर कार्यवाही करते हुये वन अपराध सं0 03/काशी0/2024-2025 पंजीकृत किया गया है तथा जाँच कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

पत्रांक 5504 / दिनांकित

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक, (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को उनके पत्रांक यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा0183-757/2024/248 दिनांक 21.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रकाश चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

राजि अपराध सं० 03/कारा०/2024-25

फार्म संख्या एच. 2

तराई पश्चिमी वन प्रभाग (पश्चिमी वृत्) नैनीताल

रामनगर, जिला-नैनीताल

वन संरक्षण अधिनियम  
पुस्तक सं० 6  
1976 धारा 4/10

क्रम संख्या 39

वन अपराध प्रसूचना संख्या 39/08 दिनांक 21.05.2024 कारागीपुर

1- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान  
① काशीपुर श्री सुधीर गुप्ता 5/0 श्री सुरेश गुप्ता  
② नकुल कुमार गुप्ता 5/0 श्री महेश कुमार गुप्ता  
निवासी ग्राम-जंदपुर नं० कारागीपुर जिला-  
(उदाय सिंह नगर)

2- साक्षी का नाम

- ① श्री ओमप्रकाश वन सुरेश कारागीपुर
- ② श्री जसपाल सिंह वन आरसी
- ③ स्वर्ण वन बीट आरसी

प्राधमिकी सूचना श्रीमान प्र० व० त०  
वन रामनगर की सेवा में द्वारा उप  
रोक्त वन अधिकारी (आरसी) सूचना पत्र  
प्रेषित ।

वन क्षेत्रीय अधिकारी  
कारागीपुर रेंज

तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

3- कथित अपराध का पूरा विवरण तथा दिनांक  
N.C.T. टीम के पत्रांक U/R PCB/R.O.K./  
2024/रिट-90/84 दिनांक 18.05.2024 के अनुसार वन के अतिक्रमण  
जैसी कि वन विभाग के अनुसार / सार्वजनिक आम के 34 वृक्ष, लीना 57 वृक्ष, तथा जंगलपानी  
के 25 वृक्ष कुल = 176 वृक्ष कम पाया जाना ।

वन विभाग

4- मूल्य

5- बालान और अनुसंधान के सम्बन्ध में विशेष कथन  
N.C.T. टीम के पत्रांक U/R PCB/R.O.K./2024/रिट-90/84 दिनांक  
18.05.2024 के अनुसार वन के अतिक्रमण के अतिक्रमण  
को को गुरी गणना के लिये आम के 34  
वृक्ष, लीना 57 वृक्ष, जंगलपानी के 25 वृक्ष

6- प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख  
कुल = 176 वृक्ष गणना करने पर कम पाये गये हैं जिसका कोई भी  
अपराध किया किस्म कोई प्रमाण नहीं परन्तु पाये गये हैं।  
अतः प्राधमिकी सूचना प्रेषित करने में सूचना पत्र  
प्रेषित है।

प्राधी  
प. व. क. (प्रमाण)  
वन बीट अधिकारी  
कारागीपुर बीट  
दिनांक 21.05.2024